


कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-: संशोधन आदेश :-

इस कार्यालय द्वारा व्याख्याता स्कूल शिक्षा के विभिन्न आदेश जारी किये गये थे, में संबंधित कार्मिक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर कॉलम संख्या 5 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र स	नाम कार्मिक	विषय	मूल आदेश क्रमांक/दिनांक	जारी संशोधन जो किया जाना है
1	2	3	4	5
1	घनश्याम स्वर्णकार, महेश्वरा, खुर्द, दौसा	भूगोल	शिविरा/माध्य/संस्था /सी-5/एसीपी/2018-19 दिनांक-18.04.2019	एसीपी प्रकरण आदेश दिनांक 18.04.2019 में क्रम संख्या 03 के कॉलम संख्या 02 में अंकित महेश्वर खुर्द के स्थान पर महेश्वरा खुर्द एवं कॉलम संख्या 04 में अर्थशास्त्र के स्थान पर भूगोल पढा जावे।
2	तारा चन्द गुर्जर लाम्बा खोह ब्लॉक तालेडा, बून्दी	भूगोल	शिविरा/माध्य/संस्था /सी-5/एसीपी/2018-19 दिनांक-10.05.2019	एसीपी प्रकरण आदेश दिनांक 10.05.2019 में क्रम संख्या 01 के कॉलम संख्या 05 में अंकित दिनांक 11.02.1986 के स्थान पर 11.12.1986 पढा जावे।
3	मामराज सिंह ढाका राआउमावि.मीरण, सीकर	भूगोल	शिविरा/माध्य/संस्था /सी-5/सेवा समाप्ति/2017 दिनांक-15.03.2019	सेवा समाप्ति प्रकरण आदेश दिनांक 15.03.2019 में क्रम संख्या 02 के कॉलम संख्या 02 में अंकित मामराज सिंह के स्थान पर मामराज सिंह ढाका पढा जावे।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।




संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक 23/05/19

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-5/संशोधन/18

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि./मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
5. संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित आशार्थी।
6. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर